मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,
तिलहन संध भवन, 1, अरेरा हिल्स, भोपाल–462 011

क्रमांक 928 /NREGS-MP / 07 भोपाल, दिनांक 4–05– 2007

प्रति,

कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,
जिला/जिला पंचायत– झाबुआ, मंडला, उमरिया, शहडोल,
बड़वानी, खरगौन, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़, बालाघाट,
छतरपुर, बैतूल, खंडवा, श्योपुर, धार, सिवनी, सतना एवं डिण्डौरी,
मध्यप्रदेश।

विषयः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्य प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2007–08 के तहत माह अप्रेल 2007 के मासिक प्रगति पत्रक में जानकारी भेजने बाबत्।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम– मध्यप्रदेश आपके जिलें में गत वित्तीय वर्ष से लागू है। योजना के मासिक प्रगति पत्रक ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में जिलों से इस कार्यालय को आगामी माह की 6–7 तारीख तक प्राप्त होते है। वित्तीय वर्ष के प्रथम माह– अप्रैल 2007 का मासिक प्रगति पत्रक आपके द्वारा तैयार किया जा रहा होगा। इस संबंध में सुझाव निम्नानुसार प्रेषित है–

1. **पार्ट एक**– इस प्रपत्र के कालम नंबर–2 में माह अप्रैल 2007 के जॉबकार्ड धारी परिवारों की वर्गवार संख्या एवं जिलें मे कुल जॉबकार्ड धारी परिवारों की संख्या रहेगी।

   कॉलम नंबर–3 ए में गत माह में कार्य की मॉग करने वाले परिवारों की संख्या शून्य रहेगी। कॉलम– 3 बी में माह अप्रैल में कार्य मॉगने वाले परिवारों की संख्या दी जायेगी। इसी प्रकार कॉलम–4 ए में जानकारी शून्य रहेगी। एवं कॉलम–4 बी में अप्रैल माह मे ंकार्य करने वाले परिवारों की संख्या दी जायेगी। कॉलम– 5 में ऐसे व्यस्क मजदूरों की संख्या दी जावेंगी जो कि कॉलम–4 सी में दी गई जॉबकार्ड धारी परिवारों से होंगे। (कॉलम–5 की संख्या किसी भी

स्थिति मे ंकॉलम–4 सी में दी गई संख्या से कम नही हो सकती।) कॉलम–6 में महिला मजदूरों की संख्या दी जावेंगी जो कि कॉलम–5 की संख्या में शामिल व्यस्क मजदूरेां में से होगी। कॉलम–7 की संख्या वर्तमान में निरंक रहेगी जब तक कोई भी जॉबकार्ड धारी परिवार 100 दिवस का कार्य पूर्ण नही कर लेता।

2. <u>पार्ट दो</u>– इस प्रपत्र के कॉलम नंबर–3,5,7,9,12 एवं 13 में दी जाने वाली जानकारी अंकों में ही दी जायेगी। इसी प्रकार प्रपत्र के कॉलम नंबर–4,6,8,10 एवं 11 में दी जाने वाली जानकारी सदैव लाख में ही रहेगी। प्रपत्र के कॉलम नंबर–11 में जिले में सृजित कुल मानव दिवस में से महिलाओं द्वारा सृजित मानव दिवस की जानकारी होगी। जो कि पूर्व में कॉलम – 10 में जिले में सृजित कुल मानव दिवस (पुरूष एवं महिलाओं द्वारा) कॉलम –12 मे ऐसे जॉबकार्ड धारी परिवारों की संख्या होगी जो कि इंदिरा आवास योजना अथवा भूमि सुधार कार्यक्रम के लाभांवित है। इसी प्रकार कॉलम–13 में ऐसे विकलांग मजदूरों की संख्या होगी जो किसी जॉबकार्ड धारी परिवार से संबंधित है एवं योजना अंतर्गत कार्य पर उपस्थित है।

3. <u>पार्ट तीन</u>– इस प्रपत्र के कॉलम–3 में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007–08 के प्रथम दिवस को योजना के खाते में शेष राशि की जानकारी हो। यदि गत वित्तीय वर्ष में जारी केन्द्रांश/ राज्यांश की प्राप्ति 01 अप्रैल 2007 के पश्चात होती है तो उसे कॉलम –4/5 में अंकित किया जायेगा। शेष सभी कॉलम–6 से 14 तक में जानकारी वर्तमान वित्तीय वर्ष से संबंधित होगी। राशि संबंधी सभी जानकारी रूपये लाख में अंकित की जायेगी।

4. <u>पार्ट चार</u>– इस प्रपत्र में जिलें में योजनांतर्गत निर्मित सरंचनाओं के निर्माण संबंधी जानकारी एवं किये गये व्यय की जानकारी सम्मिलित होती है। जानकारी मुख्यतः पूर्ण कार्य एवं प्रगतिरत कार्यो में बटी रहती है। योजनांतर्गत कुल आठ (8) प्रकार के कार्यो को सम्मिलित किया गया है। इन निर्धारित मदों में किन किन कार्यो को किस–किस मद में शामिल किया जाना है की जानकारी संलग्न प्रपत्र में पुनः प्रेषित है। एक्ट के अंतर्गत योजना में निर्धारित कार्यो के अतिरिक्त अन्य कार्य करने की इच्छा यदि किसी जिले में किसी ग्राम पंचायत की हैं तो

उस कार्य को करने के पूर्व भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग से पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। अतः पूर्व अनुमति प्राप्त होने की प्रत्याशा में किसी भी कार्य को प्रारंभ ना किया जाये। अतः प्रपत्र के बिन्दु क्र.–9 में जानकारी निरंक ही दी जावेंगी। गत वर्ष इस संबंध में पत्र द्वारा स्पष्ट किये जाने के बावजूद भी खरगौन एवं उमरिया जिलें द्वारा इस बिन्दु के अंतर्गत कार्य किया जाना दिखाया गया।

आशा है उपरोक्त सुझावों का अनुसरण करने से मासिक प्रगति की जानकारी तैयार करने में सहायता मिलेगी एवं गलती होने की संभावना कम होगी।

कृपया उपरोक्त सुझावों के आधार पर माह अप्रैल 2007 की जानकारी दिनांक 08.05.2007 तक ई–मेल द्वारा भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(ए.के. सिंह)
संयुक्त आयुक्त
राष्टीय रोजगार गारंटी परिषद म.प्र.

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
तिलहन संघ भवन, 1, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र. 2557/NREGS-MP/MONIT/2007 भोपाल, दिनांक 30 / 8 /2007

प्रति,

कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,
जिला/जिला पंचायत– झाबुआ, मंडला, उमरिया, शहडोल,
बड़वानी, खरगौन, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़, बालाघाट,
छतरपुर, बैतूल, खंडवा, श्योपुर, धार, सिवनी, सतना एवं डिण्डौरी,
गुना, अशोकनगर, राजगढ़, दतिया, रीवा, पन्ना, दमोह, कटनी,
छिंदवाड़ा, अनूपपुर, बुरहानपुर, हरदा एवं देवास
मध्यप्रदेश।

विषयः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश के अंतर्गत मासिक प्रगति की जानकारी की ऑनलाईन एन्ट्री करने के संबंध में।

संदर्भः भारत शासन का अर्द्ध शासकीय पत्र क. पीएस/जेएस(एस)/NREGA-MIS दि. 11.7.2007

———————

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि भारत सरकार द्वारा योजना की मासिक प्रगति की जानकारी प्रतिमाह जिलों से ऑनलाईन एन्ट्री किए जाने के लिए निर्देश दिए गए है। इस हेतु वर्तमान में 28 जिलों (अशोकनगर, अनूपपुर एवं बुरहानुपर जिले को छोड़कर) के लिए **पासवर्ड** निर्धारित किए गए है।

अतः इस विषय में निम्नानुसार कार्यवाही की जाना है :–

1. मासिक प्रगति की जानकारी की ऑनलाईन एन्ट्री के लिए योजना की वेबसाईट http://nrega.nic.in पर जाकर State पर क्लिक करें एवं स्टेट मध्यप्रदेश सलेक्ट करें और अपने जिले के पासवर्ड सहित एंटर होवें।
2. योजनांतगर्त जिलो (28) के NIC द्वारा दिए गए पासवर्ड संलग्न कर प्रेषित किए जा रहे है, वह माह अगस्त 2007 की मासिक प्रगति की जानकारी उपरोक्तानुसार दिनांक **5 सितम्बर, 2007** तक पूर्ण करें। साथ ही माह अगस्त 2007 की मासिक प्रगति (4 प्रपत्र) ई–मेल द्वारा rddmp_monit@yahoo.co.in पर दिनांक **6 सितम्बर 07** तक भेजें।
3. जिला अशोकनगर, अनूपपुर एवं बुरहानपुर की मासिक प्रगति की एन्ट्री पासवर्ड प्राप्त न होने के कारण मुख्यालय स्तर से की जाएगी। अतः संबंधित जिले

अपनी जानकारी दिनांक 5 सितम्बर तक ई–मेल द्वारा rddmp_monit@yahoo.co.in पर भेजें।

4. जिलों के लिए मासिक प्रगति प्रतिवेदन में जिलो द्वारा ऑनलाईन एंट्री में त्रुटियां न हों इसके लिए सभी प्रप्रत्रों के लिए आवश्यक सुझाव/निर्देश संलग्न है।

5. माह अगस्त 07 की मासिक प्रगति की एन्ट्री ऑनलाईन करने के पश्चात् माह अप्रैल 07 से माह जुलाई 2007 तक की मासिक प्रगति के आंकडों की एन्ट्री का कार्य **30 सितम्बर 2007** तक पूर्ण करें।

6. इस कार्य में किसी भी प्रकार की कठिनाई आने पर डॉ.ए.के. तिवारी, परियोजना अधिकारी, मॉनिटरिंग से दूरभाष कमांक 0755–4094818 पर कार्यालयीन समय में सम्पर्क करें अथवा अपनी कठिनाई rddmp_monit@yahoo.co.in पर ईमेल करें।

हस्ता0/–
(ए.के. सिंह)
संयुक्त आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

पृ.क्र. **2558/NREGS-MP/MONIT/2007** **भोपाल, दिनांक 30 /08/2007**

प्रतिलिपि–

समस्त संभागायुक्त की ओर सूचनार्थ।

हस्ता0/–
संयुक्त आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

पार्ट – 1

(i) कॉलम – 2 जॉबकार्डधारी परिवारों की संख्या – जिले में योजना प्रारंभ से रिपोटिंग माह तक।

(ii) कॉलम – 3 कार्य की मांग करने वाले जॉबकार्डधारी परिवारों की (वर्तमान वित्तीय वर्ष में) की वास्तविक संख्या (वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से रिपोर्टिंग माह तक)

3.1 रिपोर्टिंग माह के पूर्व के माह तक, कार्य की मांग करने वाले जॉबकार्ड धारी परिवारों की संख्या।

3.2 रिपोर्टिंग माह में (नये) जॉबकार्डधारी परिवारों की संख्या जिन्होंने कार्य की मांग की है।

3.3 उपरोक्त दोनों सब–कॉलम का योग।

(iii) कॉलम – 4 4.1 रिपोर्टिंग माह के पूर्व के माह में कार्य पर उपस्थित जॉबकार्ड धारी परिवारों की संख्या।

4.2 रिपोर्टिंग माह में कार्य पर (नये) शामिल होने वाले जॉबकार्डधारी परिवारों की संख्या।

4.3 उपरोक्त दोनों सब–कॉलम का योग।

(iv) कॉलम – 5 रिपोर्ट माह में कार्य पर उपस्थित जॉबकार्ड धारी परिवारों के सदस्यों की संख्या जो कार्य पर उपस्थित हैं। (एक परिवार के एक से अधिक सदस्य कार्य पर उपस्थित हो सकते है।)

(v) कॉलम – 6 कॉलम – 5 में दी गई व्यक्तियों की संख्या में शामिल महिलाओं की संख्या।

(vi) कॉलम – 7 जॉबकार्ड धारी परिवारों की संख्या जिनके द्वारा 100 दिवस का कार्य पूर्ण हो चुका है।

महत्वपूर्ण तथ्य :

अ कॉलम – (3) का योग कॉलम (2) के योग से अधिक नहीं होना चाहिये।

ब कॉलम – (4) का योग कॉलम (3) के योग से अधिक नहीं होना चाहिये।

स कॉलम – (5) में व्यक्तियों की संख्या, कॉलम (4) के जॉबकार्ड धारियों की संख्या के बराबर अथवा अधिक होगी। कम किसी भी स्थिति में नहीं हो सकती।

द कॉलम (6) की संख्या की संख्या कॉलम (5) की संख्या में अधिक नहीं होना चाहिए।

पार्ट – 2

(i) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य श्रेणियों में जॉबकार्डधारी परिवारों जिनके द्वारा रिपोर्टिंग माह तक काम किया गया है, की वास्तविक संख्या एवं उनके परिवार द्वारा सृजित किये गये मानव दिवसों की संख्या (कॉलम 4, 6, 8, 10 एवं 11 की जानकारी लाख मे) की जानकारी दी जाती है। जॉबकार्डधारी परिवारों की संख्या एवं सृजित मानव दिवस की संख्या लाख में दी जाना होगी।

(ii) तीनों श्रेणियों के कुल परिवरों की संख्या पार्ट – 1 की रिपोर्ट में कार्य पर उपस्थित जॉबकार्डधारी परिवारों की संख्या के बराबर होना चाहिये।

(iii) पार्ट – 2 में दी जाने वाली सभी जानकारियां वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से रिपोटिंग माह तक संकलित रहेगी।

पार्ट – 3

यह प्रपत्र योजना अंतर्गत किये जा रहे वित्तीय कार्यों (उपलब्धियों) को दर्शित करना है। इस प्रपत्र में राशि लाख में दर्शायी जाती है।

(i) कालम – 1 में योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष के प्रारंभिक शेष की राशि दी जाती है।

(ii) कॉलम – 2 में गत वर्ष के लिए स्वीकृत राशि जो वर्तमान वित्तीय वर्ष में विमुक्त हुई है की जानकारी दी जाती है।

(iii) कॉलम – 3 में वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत एवं विमुक्त राशियों की जानकारी दी जाती है। केंद्राश एवं राज्योंश यदि एक से अधिक किस्तों में जारी किये गये हैं तो वित्तीय वर्ष में विमुक्त कुल राज्यांश एवं केन्द्रांश की जानकारी दी जाना होगी।

(iv) कॉलम – 4 में वित्तीय वर्ष में प्राप्त आय जो उपरोक्त किसी माह में शामिल नहीं हो पाती है, को कुल ''अन्य आय'' दर्शायी जाती है।

(v) कॉल – 5 में कॉलम – 1 में कॉलम 4 तक की राशियों का योग दर्शाया जाना है।

(vi) कॉलम – 6 में कॉलम – 9 में अकुशल श्रम हेतु दी गयी मजदूरी, अर्धकुशल एवं कुशल श्रम हेतु दी गयी मजदूरी आवश्यक क्रय सामग्री का मूल्य एवं आकस्मिक व्यय की राशि का अंकन किया जाना है।

(vii) कॉलम – 10 में सभी श्रेणियों के व्यय का योग किया जाना है।

पार्ट – 4

(i) योजनान्तर्गत किये जा रहे कार्यों की भौतिक उपलब्धियों की जानकारी एवं व्यय (रूपये लाख में) की जानकारी दी जाती है। यह जानकारी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ रिपोर्टिंग माह तक सम्मिलित रूप से दी जाती है।

(ii) कार्यों की श्रेणीवार जानकारी, अधिनियम में स्वीकृत 8 कार्यों के लिए रिपोटिंग माह तक किये गये कार्यों की संख्या, मात्रा एवं उपयोग की गई राशि दी जानी है। जानकारी पूर्ण एवं प्रगतिरत कार्यों की पृथक–पृथक की जानी है।

(iii) श्रेणी 9 में अन्य कार्यों की जानकारी दी जानी है। इस कॉलम में ऐसे कार्यों की प्रगति की जानकारी दी जाती है, जो कि अधिनियम में दी गयी जानकारी के अनुसार योजना में शामिल नहीं है परंतु ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुमति के पश्चात सम्पादित किये जा रहे है।

(iv) प्रत्येक श्रेणी के कार्य में कार्य की Measurment की इकाई दी गयी है। जानकारी इसी इकाई में दी जानी है। हम प्रपत्र में शामिल जानकारी Measurment book में ली जाना चाहिये।

(v) प्रपत्र के सभी कॉल्म में जानकारी दी जाना आवश्यक है। निरंक होने की स्थिति में ''निरंक'' अंकित किया जाना चाहिये।